REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082024-256795 CG-DL-E-30082024-256795

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3373] No. 3373]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/भाद्र 8, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/BHADRA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2024

**का.आ. 3702(अ).**—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 के साथ पठित धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्द्वारा पोटेबल वॉटर बॉटल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: -

1. (1) इस आदेश को पोटेबल वॉटर बॉटल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. पोटेबल वॉटर बॉटल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के, पैराग्राफ 2 में, दूसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा, नामतः

"बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी ब्यूरो द्वारा प्रमाणित निर्माता या प्रमाणन के लिए ब्यूरो को आवेदन करने वाले निर्माता अथवा प्रासंगिक वस्तुओं और सामानों के लिए आयातक द्वारा इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से पहले घरेलू रूप से निर्मित या आयातित वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगा और ऐसे निर्माता या आयातक को घरेलू उपयोग के लिए पोटेबल वॉटर बॉटल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 के प्रारंभ की तारीख से छह महीने तक ऐसे घोषित स्टॉक को बेचने अथवा प्रदर्शित करने अथवा बेचने का प्रस्ताव करने की अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसा निर्माता अथवा आयातक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित इस आशय की घोषणा ब्यूरो को करेगा।"

[फा. सं. पी-14031/12/2023-सीआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

**नोट:-** मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या सां. आ. 1071(अ), दिनांक 5 मार्च, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE) ORDER

New Delhi, the 29th August, 2024

**S.O. 3702(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Potable Water Bottles (Quality Control) Order, 2024, namely :—

1. (1) This Order may be called the Potable Water Bottles (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2.** In the Potable Water Bottles (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 2, after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that nothing in this Order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of commencement of this Order by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification or by the importer for the relevant goods and articles and such manufacturer or importer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock up to six months from the date of commencement of the Potable Water Bottles (Quality Control) Amendment Order, 2024 subject to the condition that such manufacturer or importer shall make a declaration to this effect certified by a Chartered account to the Bureau."

[F. No. P-14031/12/2023-CI] SANJIV, Jt. Secy.

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, sub-section(ii) vide notification number S.O. 1071(E), dated the 5<sup>th</sup> March, 2024.